



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट
14-अशोक मार्ग शक्ति भवन(वि०), लखनऊ, 226001

Secretary.cpftrust@uppcl.org

www.uppst.org

संख्या:-1/26947/2025/56/CPF Allot. दिनांक : 04-10-2025

दिशा-निर्देश

कृपया अवगत कराना है कि अध्यक्ष (ट्रस्ट) के अनुमोदनोपरान्त पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं०-1778/80/सी०पी०एफ०/ट्रस्ट/ई०आर०पी०/2020 दिनांक-15-12-2022, परिपत्र सं०-603/80/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/ई०आर०पी०/2020 दिनांक-13-06-2023 एवं दिशा-निर्देश सं०-1862/54/ CPFTRUST/ DVVNL/Correspondence/2020 दिनांक-02.12.2024 द्वारा निर्देशित किया गया था कि समस्त डिस्कॉम/निगम में कार्यरत अंशदायी/सामान्य भविष्य निधि योजना से आवरित समस्त कार्मिकों की ई०आर०पी० सैप पर TRUST ID एवं सी०पी०एफ०/जी०पी०एफ० खाता संख्याओं में परिवर्तन एवं त्रुटि सुधार की कार्यवाही केवल ट्रस्ट कार्यालय द्वारा ही की जायेगी।

संज्ञान में आया है कि अभी भी कुछ सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों/नोडल अधिकारियों द्वारा ई०आर०पी० पर प्रदत्त अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए T-code PA30 के अंतर्गत Infoytp-587 के माध्यम से निम्नवत् कार्यवाही की जा रही है :-

1. कार्मिक की TRUST ID/खाता संख्या Manually परिवर्तित/अपडेट कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कार्मिक के वेतन से सी०पी०एफ० खाता संख्या आवंटित किये बिना ही सी०पी०एफ० अंशदान की कटौती प्रारम्भ हो जाती है, परन्तु लेखापर्ची में अंशदान की प्रविष्टि प्रदर्शित नहीं होती है।
2. पारेषण निगम से डिस्कॉम/उ०प्र०पा०का०लि० में कार्मिकों का स्थानान्तरण होने पर कार्मिकों की TRUST ID/खाता संख्याओं में ट्रस्ट कार्यालय की अनुमति के बिना ही परिवर्तन किये जा रहे हैं, जिससे कार्मिकों की लेखापर्ची में अंशदान की प्रविष्टि प्रदर्शित नहीं होती है।
3. कार्मिकों की TRUST ID गलत अंकित किये जा रहे हैं, जैसे NCPF के स्थान पर NGPF तथा UCPF के स्थान पर UGPF अथवा UGPF के स्थान पर UCPF, जिससे वेतन से सी०पी०एफ० की जगह जी०पी०एफ० अथवा जी०पी०एफ० की जगह सी०पी०एफ० की कटौती प्रारम्भ हो जाती है एवं लेखा मिलान में समस्या उत्पन्न होती है तथा लेखापर्ची में अंशदान की प्रविष्टि प्रदर्शित नहीं होती है।
4. किसी कार्मिक के निलम्बन/वर्खास्तगी इत्यादि परिस्थितियों में उनकी TRUST ID में परिवर्तन की कार्यवाही ट्रस्ट कार्यालय की अनुमति के बिना ही की जा रही है, जिससे

पुनर्बहाली पर लेखापर्ची में अंशदान की प्रविष्टि प्रदर्शित नहीं होती है।

उपरोक्त कार्यवाही किये जाने के कारण कार्मिकों के वेतन से त्रुटिपूर्ण अंशदान की कटौती हो रही है एवं उनकी लेखापर्ची में प्रविष्टि भी छूट जा रही है, जिससे कार्मिकों में प्रणाली के प्रति अविश्वास जागृत हो रहा है जबकि त्रुटि सम्बन्धित कार्मिक/अधिकारी की होती है। साथ ही TRUST ID त्रुटिपूर्ण होने पर कार्मिकों को स्थायी/अस्थायी अग्रिम लेने में भी असुविधा हो रही है एवं प्रकरण निस्तारण विलम्बित व त्रुटिपूर्ण होते हैं।

उक्त के दृष्टिगत समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों/नोडल अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि निर्गत SOP के अनुसार ही कार्यवाही कराने हेतु कार्मिकों की TRUST ID एवं सीओपीओएफओ/जीओपीओएफओ खाता संख्याओं में परिवर्तन/अन्तरण/त्रुटि सुधार किये जाने की कार्यवाही केवल ट्रस्ट कार्यालय के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(अमित रंजन)
सचिव (ट्रस्ट)

पत्र सं:-1/26947/2025/56/अओभओनिओ/खाओअओ तद्दिनांक:04-10-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, 30प्रओपाओकाओलिओ, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, 30प्रओपाओकाओलिओ, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिओ/केस्को, वाराणसी/लखनऊ /आगरा/मेरठ/कानपुर।
4. निदेशक (वित्त), 30प्रओपाओकाओलिओ/पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिओ/केस्को।
5. निदेशक (काओप्रओएवंप्रशाओ), 30प्रओपाओकाओलिओ/पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिओ/ केस्को।
6. निदेशक (काओएवंप्रबओ), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिओ/केस्को, वाराणसी/ लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
7. निदेशक (आईओटीओ)/(IT) नोडल/30प्रओ पावर कारपोरेशन लिओ/पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिओ/ केस्को।
8. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), 30प्रओपाओकाओलिओ, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), 30प्रओपाओकाओलिओ, डालीबाग, लखनऊ।
10. अपर पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिओ/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
11. समस्त कार्मिक ट्रस्टीज़, 30प्रओपाओकाओलिओ, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट।
12. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), 30प्रओपाओकाओलिओ/पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम

- लि०/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
13. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 14. उप महाप्रबन्धक (वित्तएवंप्रब०), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, वाराणसी /लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
 15. उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 16. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 17. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०/पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
 18. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को।
 19. लेखाधिकारी (के०भु०प्र०), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, वाराणसी/ लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
 20. लेखाधिकारी (सा०प्र०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, महानगर, लखनऊ।
 21. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा/के०भु०प्र०), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 22. समस्त लेखाधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि० अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट/उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।
 23. सोविक हाजरा, Project Manager, M/s Accenture Solutions Pvt. Ltd.
 24. कार्यालय प्रति।


(अमित रंजन)
सचिव (ट्रस्ट)